प्रेस विज्ञप्ति
03-06-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने 31.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एवन कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के केस में अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर द्वारा मेसर्स एवन कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य निजी व्यक्तियों और लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्ति ने आपराधिक साजिश के तहत रिकॉर्ड में हेराफेरी करके और झूठे/जाली दस्तावेज उपलब्ध कराकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को धोखा दिया और बेईमानी से ऋण सुविधा का लाभ उठाया।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स एवन कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स पैटमैक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से फर्जी प्रोफार्मा चालान प्रस्तुत करके यूनियन बैंक (जिसे पहले आंध्रा बैंक के नाम से जाना जाता था) से सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया था। कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए ये ऋण सुविधाएं दी गईं; हालाँकि, उक्त राशि का उपयोग उक्त कार्यों के लिए नहीं किया गया। सावधि ऋण को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पुनः रूट किया गया और 3.92 करोड़ रुपये की राशि नकद में निकाली गई, जिससे कोई मनी ट्रेल नहीं छूटा। धन का उपयोग ऋण समझौते में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। इसके अलावा, 1.30 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को पहले ही अनंतिम रूप से कुर्क किया जा चुका है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।